सोलहवां वित्त आयोग और राजकोषीय संघवाद: भारत में समानता और दक्षता का पुनर्संतुलन

UPSC प्रासंगिकता- GS-II: केंद्र-राज्य संबंध

चर्चा में क्यों?

IAS-PCS Institute

सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों ने भारत के राजकोषीय संघीय ढांचे के लिए उनके निहितार्थों के संबंध में बहस छेड़ दी है। हस्तांतरण सूत्र (devolution formula) में बदलाव, उपकर (cess) और अधिभार (surcharge) के उपचार, और राजस्व घाटा अनुदान (revenue deficit grants) को बंद करने पर चिंताएं जताई गई हैं।

पृष्ठभूमि: वित्तीय हस्तांतरण का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 280 के तहत, वित्त आयोग सिफारिश करता है:

- केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण (**ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण** - Vertical Devolution)
- राज्यों के बीच आवंटन (**क्षैतिज हस्तांतरण** - Horizontal Devolution)

Result Mitra
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

इससे पहले, चौदहवें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल (divisible pool) में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी थी, जिससे राजकोषीय संघवाद मजबूत हुआ। जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद इसे घटाकर 41% कर दिया गया था। पंद्रहवें वित्त आयोग ने काफी हद तक इसी ढांचे को जारी रखा, लेकिन सोलहवें वित्त आयोग ने महत्वपूर्ण पद्धतिगत बदलाव पेश किए हैं।

I. ऊर्ध्वाधर आयाम (The Vertical Dimension): केंद्र-राज्य राजकोषीय संतुलन

41% हिस्सेदारी को बरकरार रखना — लेकिन प्रभावी हस्तांतरण का सिकुड़ना हालाँकि सोलहवें वित्त आयोग ने 41% हिस्सेदारी को बरकरार रखा, लेकिन केंद्र की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रभावी हस्तांतरण में चौदहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान के उच्चतम स्तर की तुलना में गिरावट आई है। यह बताता है कि भले ही सूत्र बरकरार है, लेकिन राज्यों के लिए उपलब्ध कुल राजकोषीय स्थान सीमित हो सकता है।

उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) का बढ़ता उपयोग एक बड़ी चिंता उपकर और अधिभार पर बढ़ती निर्भरता से संबंधित है, जो गैर-साझा कर (non-shareable taxes) हैं।

- ये विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं हैं।
- ये राज्यों के लिए उपलब्ध प्रभावी हिस्सेदारी को कम करते हैं।
- आदर्श रूप से, इन्हें विशिष्ट और सीमित उद्देश्यों के लिए लगाया जाना चाहिए। इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से संबोधित करने के बजाय, आयोग ने एक "ग्रैंड बारगेन" (बड़ा सौदा) का प्रस्ताव दिया — सुझाव दिया कि यदि केंद्र उपकरों को नियमित करों में मिला देता है, तो राज्य थोड़ी कम हिस्सेदारी स्वीकार कर सकते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण अनुच्छेद 270 में निहित राजकोषीय संघवाद की भावना को पर्याप्त रूप से कायम नहीं रखता है।

राजस्व घाटा और क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों को बंद करना आयोग ने:

- राजस्व घाटा अनुदान को बंद कर दिया।
- राज्य-विशिष्ट या क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों की सिफारिश नहीं की। यह आवश्यकता-आधारित सुधारात्मक हस्तांतरण से दूर हटने का संकेत है और राजकोषीय रूप से कमजोर राज्यों को असमान रूप से प्रभावित कर सकता है।

II. क्षैतिज आयाम (The Horizontal Dimension): समानता बनाम प्रदर्शन

पारंपरिक समानीकरण दृष्टिकोण ऐतिहासिक रूप से, वित्त आयोगों ने **आय दूरी (income distance)** मानदंड का उपयोग किया है:

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

- कम प्रति व्यक्ति आय ⟶ उच्च हिस्सेदारी
- उद्देश्य: अंतर-राज्यीय राजकोषीय असमानताओं को कम करना यह समानीकरण (equalisation) के संवैधानिक लक्ष्य को दर्शाता है।

'योगदान' (Contribution) मानदंड की शुरुआत सोलहवें वित्त आयोग ने एक नया पैरामीटर पेश किया:

- सभी राज्यों के GSDP में राज्य के GSDP की हिस्सेदारी
- बाद में इसके वर्गमूल (square root) का उपयोग करके इसे मध्यम किया गया इसका उद्देश्य दक्षता और राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान को प्रतिबिंबित करना है। हालाँकि, यह वैचारिक तनाव पैदा करता है:
- आय दूरी गरीब राज्यों को पुरस्कृत करती है।

- योगदान अमीर राज्यों को पुरस्कृत करता है। इस प्रकार, GSDP का उपयोग विपरीत तरीकों से किया जा रहा है।

उत्पादन दक्षता बनाम राजकोषीय दक्षता एक प्रमुख विश्लेषणात्मक चिंता निम्नलिखित का आपस में मिल जाना है:

- उत्पादन दक्षता (बाजार संचालित आर्थिक उत्पादन)
- राजकोषीय दक्षता (कर प्रयास और विवेकपूर्ण खर्च) उच्च GSDP बेहतर राजकोषीय शासन के बजाय पूंजी के संकेंद्रण और प्रवास पैटर्न का परिणाम हो सकता है। इसलिए, हस्तांतरण को उत्पादन आउटपुट से जोड़ने से पुनर्वितरण न्याय के कमजोर होने का जोखिम रहता है।

III. राज्यों पर प्रभाव: लाभ और हानि

कई राज्य जैसे:

- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कई उत्तर-पूर्वी राज्य नए सूत्र के तहत सापेक्ष नुकसान का सामना करने की संभावना है। जबकि कुछ अमीर राज्यों को लाभ होता है, लेकिन लाभ असमान हैं।

IV. चूका हुआ अवसर: अनुच्छेद 275 अनुदान

अनुच्छेद 275 के तहत, संसद विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए राज्यों को सहायता अनुदान (grants-in-aid) प्रदान कर सकती है। ऐसे अनुदान:

- राजस्व घाटा अनुदान से अलग हैं।
- स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में मानकों को समान कर सकते हैं।
- लागत और आवश्यकता के अंतर को संबोधित करते हैं। आयोग इन उपकरणों का उपयोग निम्नलिखित के लिए कर सकता था:
- सूत्र-प्रेरित नुकसान की भरपाई करना।
- प्रदर्शन प्रोत्साहन को समानीकरण के साथ संतुलित करना। इसके बजाय, इसने राजस्व अंतराल अनुदानों को पूरी तरह से छोड़ने का विकल्प चुना।

IAS PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

राजकोषीय संघवाद के लिए व्यापक निहितार्थ

यह बहस एक मौलिक नीतिगत दुविधा को उजागर करती है: क्या राजकोषीय हस्तांतरण को प्राथमिकता देनी चाहिए:

- समानता और समानीकरण को, या
- दक्षता और प्रदर्शन पुरस्कारों को? जबकि प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है, समानीकरण तंत्र को कमजोर करना सहकारी संघवाद को कमजोर कर सकता है और क्षेत्रीय असमानताओं को गहरा कर सकता है। राजकोषीय हस्तांतरण केवल लेखांकन अभ्यास नहीं हैं; वे भारत के अत्यधिक विविध राज्यों के विकास पथ को आकार देते हैं।

आगे की राह

- उपकर और अधिभार को युक्तिसंगत बनाना और उन्हें विभाज्य पूल में मिलाना।
- मानकीकृत रूप से निर्धारित समानीकरण अनुदानों को बहाल करना।
- राजकोषीय अनुशासन और उत्पादन आउटपुट के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करना।
- राजस्व अनुमानों के आकलन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- समानता और दक्षता के बीच संवैधानिक संतुलन को बनाए रखना।

निष्कर्ष

सोलहवां वित्त आयोग भारत के राजकोषीय ढांचे में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। हालाँकि यह औपचारिक रूप से 41% हस्तांतरण हिस्सेदारी को बरकरार रखता है, लेकिन कार्यप्रणाली में बदलाव और सुधारात्मक अनुदानों को वापस लेने से राजकोषीय संघवाद की भावना बदल सकती है। गहरी अंतर-राज्यीय असमानताओं वाले देश में, वित्त आयोग को संतुलित विकास के संवैधानिक विजन पर अडिग रहना चाहिए — यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रदर्शन प्रोत्साहन, समानीकरण और राष्ट्रीय एकजुटता के प्रति प्रतिबद्धता को कम न करें।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) विभाज्य कर-संग्रह (Divisible Pool) का हिस्सा होते हैं।
2. वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है।

3. विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राज्यों को अनुदान-सहायता (Grants-in-aid) संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A) केवल 2

B) केवल 2 और 3

C) केवल 1 और 3

D) 1, 2 और 3

उत्तर: B) केवल 2 और 3

प्रश्न 2. वित्त आयोगों द्वारा क्षैतिज कर-वितरण (Horizontal Devolution) में प्रयुक्त 'आय दूरी' (Income Distance) मानदंड को निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है?

A) यह राष्ट्रीय GDP में अधिक योगदान देने वाले राज्यों को अधिक धन आवंटित करता है।

B) यह राज्यों के कर-प्रयास और वित्तीय अनुशासन को मापता है।

C) यह प्रति व्यक्ति आय कम होने वाले राज्यों को अधिक वरीयता देता है।

D) यह आय स्तर की परवाह किए बिना सभी राज्यों में समान रूप से धन वितरित करता है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS-II)

प्रश्न: "सोलहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ भारत के वित्तीय संघवाद में समानता (Equity) और दक्षता (Efficiency) के बीच विकसित होते तनाव को दर्शाती हैं।" ऊर्ध्वाधर (Vertical) एवं क्षैतिज (Horizontal) कर-वितरण तंत्र में हुए परिवर्तनों के आलोक में चर्चा कीजिए।(15 अंक, 250 शब्द)

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806